JPR 5-03

3

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, आर. सी. दवे मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 फोन : 0141-740894 फैक्स : 0141-740831

क्रमांक/जयपुर डिस्कॉम/संयु.निदे./वा./सी-II/प्रे. 75 जयपुर, दिनांक 9.8.2000

-आदेश-

विषय:- कृषि उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई अतिरिक्त धरोहर राशि की मासिक किश्तों में वसूली ।

धरोहर राशि के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त धरोहर राशि की वसूली के संबंध में नोटिस प्रेषित किए गए हैं । अनेक कृषि उपभोक्ताओं द्वारा इन नोटिसों के मिलने पर धरोहर राशि को किश्तों में जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने की मांग की जा रही है ।

कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया है कि कृषि उपभोक्ताओं को धरोहर राशि बिना डिलेट पेमेन्ट सरचार्ज/ब्याज लगाए तीन मासिक किश्तों में जमा करवाने की सुविधा सहायक अभियन्ताओं द्वारा दी जाए । सहायक अभियन्ताओं को विशेष ध्यान रखकर यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को धरोहर राशि की वसूली के लिए दिये जाने वाले नोटिसों में उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में जमा की गई धरोहर राशि कम कर दी गई है । यदि उपभोक्ताओं को कोई नोटिस, पूर्व में उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के समायोजन के बिना जारी कर दिया गया हो तो उसे उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाकर ही शेष राशि वसूली की जाय ।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए धरोहर राशि की वसूली के लिए अब जो नोटिस दिये जावें उनमें उपरोक्त राशि को तीन लगातार मासिक किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होने का उल्लेख कर दिया जावे ।

(उमेश कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक